दिनांक 20.02.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई के महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव एवं नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस 0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार जोन 06 रिसाली के सड़क 20 क्षेत्रान्तर्गत अवैध प्लाटिंग की शिकायत जनदर्शन में आयुक्त के समक्ष की गई थी , जिसको संज्ञान में लेते हुए जोन 06 के जोन आयुक्त एवं भवन अनुज्ञा के अधिकारी सहित निगम का तोड़फोड़ दस्ता मौके पर पहुंचकर अवैध प्लाटिंग एवं मुरुम डालकर रोड निर्माण कार्य, एवं पोल लगाकर किये गये अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन, टाउन प्लानिंग एवं नगर निगम भिलाई के जोन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा टीम गठन कर ग्राम रिसाली , खसरा क्र. 680, 684, खसरा क्र. 165/30, 165/38 रिसाली क्षेत्र में लगभग 3 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को जेसीबी द्वारा हटाकर मूल स्वरुप में लाया गया। कार्यवाही के दौरान जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम , भिलाई के अधिकारी, कर्मचारी तथा टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग दुर्ग के अधिकारियों की संयुक्त टीम उपस्थित रहे।

अवैध प्लाट पर एवं रोड निर्माण के लिए लगाये जा रहे मुरुम को निगम के जेसीबी एवं डम्पर द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई साथ ही चेतावनी दी गई कि अवैध रुप से प्लाटिंग किये जाने पर नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत् कड़ी कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। महापौर व आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध प्लाटिंग वाले क्षेत्र में भूखण्डों का क्रय-विक्रय न करें। किसी प्रकार के निर्माण के लिए नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त कर ही निर्माण प्रारम्भ करें भविष्य में भी अवैध कालोनी एवं अवैध निर्माण पर लगातार कार्यवाही जारी रखने हेतु कहा गया है। कार्यवाही में जोन आयुक्त सुनील जैन , दौलत चन्द्राकर, बिजेन्द्र परिहार, संजय शर्मा, हरचरण सिंह अरोरा, बी.के. सिंह एवं निगम के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे